न्यायालय तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून
प्रकीर्ण वाद सं0–1077/2026 एवं
प्रकीर्ण वाद सं0–1078/2026
श्रीमती प्रीति बनाम सुखदेई

दिनांक 18.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। प्रार्थिनी प्रीति मय विद्वान अधिवक्ता श्री एस0के0 धीमान उपस्थित। प्रार्थिनी की ओर से एक प्रार्थनापत्र न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी के द्वारा अपनी सास सुखदेई के विरूद्ध धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का एक वाद दायर किया गया था जिसमें भरण–पोषण की धनराशि के संबंध में न्यायालय के द्वारा जारी कुर्की वारण्ट के आधार पर विपक्षी सुखदेई को ग्राम बैरागढ़ा, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश, देहरादून खाता सं0–00053 खसरा 34 तथा 35 में सुखदेई का 1/2 भाग को कुर्क किया गया था। उक्त कुर्की के पश्चात पक्षकारों का आपस में समझौता हो गया था तथा प्रार्थिनी के द्वारा वाद वापस ले लिया गया था। अतः उक्त खातस खतौनी संख्या कुर्क की इंद्राजी को निरस्त किया जाए।

सुना तथा पत्रावली पर परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रार्थिनी प्रीति के द्वारा दिनांक 27.03.2019 को अपनी सास सुखदेई के विरूद्ध धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक वाद दायर किया गया था। न्यायालय के द्वारा उक्त वाद में विपक्षी सुखदेवी से प्रार्थिनी प्रीति भारद्वाज को अपने खाता खतौनी सं0–35 के खतौनी सं0–34 व 35 से होने वाली आय का आधा हिस्सा प्रार्थिनी तथा उसकी पुत्री को अदा करने के आदेश हुए थे। उक्त धनराशि अदा न करने पर न्यायालय के द्वारा विपक्षी की उक्त सम्पत्ति का हिस्सा कुर्क कर दिया गया था। पत्रावली के परिशीलन से यह भी विदित होता है कि मामले में कुछ समय पश्चात प्रार्थिनी तथा विपक्षी के मध्य आपसी समझौता हो गया था तथा समझौते के आधार पर प्रार्थिनी के द्वारा अपना वाद वापस ले लिया गया था। प्रार्थिनी के द्वारा कुर्की की गई सम्पत्ति के संबंध में भी कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था। ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश द्वारा विपक्षी सुखदेई की कुर्क की गई सम्पत्ति को कुर्की से अवमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार न्यायालय के आदेश द्वारा की गई कुर्की की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, ऋषिकेश को आदेशित किया जाता है कि वे इस संबंध में की गई कुर्की को अवमुक्त करते हुए राजस्व अभिलेखों में की गई इंद्राजी को भी निरस्त करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(संदीप सिंह भण्डारी)
तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।